20/8/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील और अनुपस्थित वादी व वादी वकील को एक-एक कर बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वादी व वादी वकील और अनुपस्थित लिहाजा वादी का वाद आदेश नियम व आदेश सी.पी.सी. में खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल होकर नत्थी से कार्य ही जाकर दफ्तर दाखिल हो।